न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/2017

अपीलांट

1. रणछोडराम वल्द केवाजी, जाति कलबी, निवासी पंसेरी तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर।
2. सगरामा वल्द स्व. मोतीजी जाति कलबी, निवासी पंसेरी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
3. फुईयाराम वल्द स्व. मोतीजी, निवासी कलबी, निवासी पंसेरी तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर।
4. चमनाराम वल्द स्व. मोतीजी, निवासी कलबी, निवासी पंसेरी, तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर।
5. मु. मफी बेवा चेला वल्द स्व. मोतीजी, निवासी कलबी, निवसी पंसेरी तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
6. बगदाराम नाबालिग की माता मु. मफी बेवा चेला वल्द स्व. मोतीजी, निवासी कलबी, निवासी पंसेरी तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. दला वल्द स्व. सवाजी जाति कलबी, निवासी पंसेरी, तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर।
2. लीला वल्द नगाजी, जाति कलबी, निवासी पंसेरी तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
3. बगदाराम वल्द स्वं परखाजी, जाति कलबी, निवासी पंसेरी तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
4. हीराराम वल्द स्व. परखाजी, जाति कलबी, निवासी पंसेरी तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर।
5. तहसीलदार (भूमिधारी) जसवंतपुरा जिला जालोर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री त्रिलोक चंद मेहता विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 05

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

—: निर्णय :—

दिनांक : 07.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जसवंतपुरा द्वारा बमुकदमा संख्या 38/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलांट की एकतरफा की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त खसरा नंबर 571 की आकृति अनुसार नये खसरा नंबर 1145/1403 रकबा 8.53 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नही है। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से निरन्तर कब्जा काश्त है। तथा नक्शे में खसरा नंबर 571 के आस पास अन्य व्यक्तियों की खातेदारी आराजी है जो कि मौका नक्शा से स्पष्ट है। तथा खातेदारो की आराजी के बीच राजकीय भूमि होना भी संभव नहीं है जिससे खसरा नंबर 58 बीघा 8 बिस्वा आराजी अपीलांट की होना प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त पुराने खसरा नंबर 571 से नये खसरा नंबर 1145 व 1145/1403 बनना सेटलमेंट में मिलान क्षेत्रफल में बताया है जिससे यह स्पष्ट है कि पुराने खसरा नंबर 571 का वास्तविक रकबा 58 बीघा 8 बिस्वा है किन्तु राजस्व रेकर्ड में 5 बीघा 8 बिस्वा दर्ज किया गया। अपीलांट ने प्रदर्श 13 के रूप में नक्शा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे पुराने खसरा नंबर 571 की स्थिति का स्पष्ट रूप दर्शित किया है तथा मौके पर अन्य कोई खसरा नंबर की आराजी सम्मिलित नहीं है लेकिन द्वितीय सेटलमेंट विभाग ने अपीलांट का 5 बीघा 8 बिस्वा यानि 0.90 हैक्टेयर मानते हुए शेष आराजी को सिवाय चक घोषित कर दिया जबकि सेटलमेंट विभाग को पुराने रेकर्ड को बदलने का कोई अधिकार नही है एवं न ही किस्म बदलने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण बाद तामिल उपस्थित नहीं आये, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने 58 बीघा 8 बिस्वा भूमि तक काबिज होने के संबध में जुबानी साक्ष्य करवाई जिसका रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट के तथ्यो व साक्ष्यों का खंडन नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपीलांट द्वारा सेटलमेंट के दौरान आपत्ति नही करना मानते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 571 की आराजी राजकीय आराजी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए केवल मात्र अपीलांट द्वारा सेटलमेंट के दौरान आपत्ति नही करना मानते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त खसरा नंबर 571 की आकृति अनुसार नये खसरा नंबर 1145/1403 करबा 8.53 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श–1 अनुसार पर्चा खतोनी अनुसार सरहद मौजा पंसेरी के अन्य खसरा नबर 423, 426, 432 के साथ वादग्रस्त खसरा नंबर 571 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा बारानी द्वितीया का जारी हुआ तथा प्रदर्श–2 अनुसार भी उक्त खसरा नंबर के साथ वादग्रस्त खसरा नंबर 571 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वागा केवा गेमा व नवा पि. लुम्बा 1/2 व भूरा वल्द परखा 1/2 कौम कलबी साकिन देह खातेदार का पर्चा तजवीज लगान जारी हजुआ तथा प्रदर्श–3 अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 571 रकबा 5 बीघा 8 बिस्पा में संवत 2007 में 5 बीघा 8 बिस्वा में काश्त बाजरी दर्ज है तथा सवंत 2008 में 2 बीघा 10 बिस्वा में बाजरी तथा 2 बीघा 18 बिस्वा में ग्वार फसल का इन्द्राज है। खतौनी बंदोबस्त संवत 2010–2029 यानि प्रथम भूप्रबंध के दौरान भी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 571 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा का इन्द्राज है तथा जमाबंदी संवत 2012–15 प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत 2015–18 प्रदर्श–6 जमाबंदी सवंत 2020–2023 प्रदर्श–7 जमाबंद सवंत 2024–2027 प्रदर्श–8, जमाबंदी संवत 2028–2031 प्रदर्श–9, जमाबंदी संवत 2031–2034 प्रदर्श–10 व जमाबंदी सवंत 2035–2038 प्रदर्श–11, जमाबंदी संवत 2036–2039 प्रदर्श–12 अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 571 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा बारानी द्वितीय राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। तत्पश्चात नवीन भूप्रबंध के दौरान मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–14 अनुसार गत खसरा नंबर 571 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 1145 रकबा 0.90 हैक्टेयर व 1145/1403 रकबा 8.53 हैक्टेयर सृजित हुए। आराजी गत खसरा नंबर 571 का मूल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा था तथा नवीन भूप्रबंध के दौरान सृजित खसरा नंबर 1144 रकबा 0.90 हैक्टेयर जो मूल रकबे के अुनसार ही सृजित किया गया। भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान वादग्रस्त खसरा नंबर 571 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा के अतिरिक्त बेसी रकबा पाये जाने पर ही नवीन खसरा नंबर 1145/1403 रकबा 8.53 हैक्टेयर सृजित कर सरकारी भूमि होने से सरकारी खाते मे दर्ज की गई है। अपीलांटगण द्वारा भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार की उजरदारी आपत्ति भूप्रबंध विभाग के समक्ष प्रस्तुत नही की एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो एवं जमाबंदीयो का अवलोकन करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर जसवंतपुरा द्वारा बमुकदमा संख्या 38/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2017 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली